Press Note 19th Jan 2013: Project Affected Communities, Activists Oppose move to excuse Himachal Government's compliance to Forest Rights Act 2006

In a strongly worded letter to Minister of Environment and Forests, Jayanthi Natrajan, grassroots organisations and environmental activists have objected to the move of the Ministry to dilute the provisions to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act 2006 before forest diversion for non-forest purposes for proposed projects in Himachal Pradesh.

The Ministry of Environment through a circuclar of August 2009 had made mandatory for project proponents to get NoCs of the affected Gram Sabhas and compliance to the Forest Rights Act 2006 before diversion of forest land for non-forest purposes like hydropower, mining and industrial projects. In Himachal Pradesh where the Forest Rights Act 2006 has yet to be implemented this decision of the Ministry played a critical role in ensuring that the forest rights of the project affected communities are not violated or alienated without their consent.

However, after repeated pressure from the Himachal Pradesh government, on 20th September 2012 the MoEF in a letter to the Principal Secretary (Forests) the MoEF states that there are no compliance issues with regards to FRA since the rights of the forest dwellers have already been “settled” under the Forest Settlement Process in 1970s. The letter refers to correspondence by the Chief Minister of Himachal Pradesh through which a request for this move had been made to MoEF. Now the MoEF has decided to accept a certificate by the District Commissioner stating that there exist no pending claims under the FRA 2006, as “sufficient evidence” to meet the procedural requirements under the Forest Rights Act 2006. Thus the requirement of the Gram Sabha NoC has been done away with.

Members of Himdhara, an environment action group, one of the signatories to the letter to the Environment Ministry, challenge, “The claim of the Himachal Pradesh government that the forest rights have already been settled in the state under the 'Forest Settlement process' of 70s is untenable. In forest settlement, the rights were recognised as customary rights, and in other words as 'concessions' to local community but these were taken back by the state, as and when it wanted to divert forests, without following any legal procedure or paying compensation to the affected people. On the other hand FRA provides legal status to these customary rights recorded in forest settlement reports as 'inalienable rights”.

It is shocking that MoEF agreed to such a demand for allowing forest diversion without NoCs, from the Chief Minister of Himachal Pradesh, without having consulted the Ministry of Tribal Affairs which is the nodal ministry for the implementation of FRA 2006. In a recent report the MoTA has questioned the Himachal government for lagging behind in the implementation of the Act.

Interestingly, the Himachal Pradesh government actually announced the implementation of the Act for the entire state in as late as 2012 vide a notification. Questions R.S Negi of Him Lok Jagriti Manch, Kinnaur, “If the Himachal Government had such a problem with the provisions of the FRA 2006 and believes that the rights have already been 'settled' then why did it announce the implementation of the Act in the entire state? This was just a populist move. The real interest of the government is to make easy the forest diversion process for hydroprower projects, even at the cost of local people's rights.”

Adds Nek Ram Sharma of Satluj Bachao Jan Sangharsh Samiti, “More than 10,000 hectares of forest land since 1980 have been diverted for hydroprojects, mines, transmission lines and roads. The Himachal Pradesh Forest Department should have compensated all the forest dwellers whose rights have been compromised by this diversion, if it claims to have already recognised these rights.”

The submission goes on to demand that the decision taken by MoEF vide the letter dated 20th September 2012 be immediately revoked because it is in contravention of the provisions of the Forest Rights Act 2006. “Allowing the DC to certify that claims have been 'settled' would directly affect the rights of the affected communities who have individual and community rights on the forest resources”, the letter states.

Other signatories to the letter include Com Ratan Chand, Saal Ghaati Bachao Sangharsh Morcha (Chamba), Kulbhushan Upmanyu of Himalaya Bachao Samiti, Rigzin Hayerpa, Jispa Bandh

Sangharsh Samiti and Sudershan Thakur, Shely Project Sangharsh Samiti (Lahaul and Spiti); Mangani Ram, Holi Ghati Bachao Sangharsh Samiti and Kuldeep Verma, People's Action for People in Need (Sirmaur).

For more information contact
Manshi Asher (9816345198) or Rahul Saxena (9816025246)

प्रैस विज्ञप्ति 19 जनवरी 2013 : परियोजना प्रभावित स्थानीय समुदाय, पर्यावरण कार्यकर्ता हिमाचल सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर छूट दिए जाने का विरोध

कड़े शब्दों में पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन को लिखे गए एक पत्र में, स्थानीय संस्थाओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि हस्तांतरित किए जाने के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर छूट दिए जाने का विरोध किया है।

पर्यावरण मंत्रालय ने, अगस्त 2009 को जारी किए गए एक परिपत्र में परियोजना निर्माता द्वारा, जल विद्युत, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं जैसे गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने से पहले प्रभावित ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया था। हिमाचल प्रदेश में, जहां वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू होना अभी बाकी है, के लिए यह परिपत्र काफी महत्वपूर्ण था जिससे कि परियोजना प्रभावित समुदायों के वन अधिकारों का हनन होने से बचाया जा सके और उनकी स्वीकृति के बिना उन्हें इन अधिकारों से वंचित न किया जा सके।

लेकिन, हिमाचल सरकार द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के कारण, 20 सितंबर 2012 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रमुख सचिव (वन) को लिखे गए एक पत्र में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन संबंधी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि 1970 के दशक में ही सभी वन अधिकारों की बंदोबस्ती कर दी गई है। पर्यवरण मंत्रालय के इस पत्र में हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री द्व ारा यह कदम उठाए जाने की प्रार्थना करते हुए लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया गया है। अब पर्यावरण मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वन भूमि हस्तांतरण के लिए ज़िला आयुक्त द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई दावा बाकी नहीं है, ही वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए ''पर्याप्त सबूत'' मान लिया जाएगा। इस प्रकार ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है।

हिमधरा, एक पर्यावरण क्रिया समूह के सदस्यों, जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया है, का कहना है कि, ''हिमाचल सरकार का यह कहना कि 1970 की बंदोबस्ती प्रक्रिया में ही सभी वन अधिकारों की बंदोबस्ती कर दी गई है गलत है और इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। वन अधिकारों की बंदोबस्ती में, स्थानीय समुदायों के अधिकारों को पारंपरिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जिन्हें दूसरे शब्दों में स्थानीय समुदायों को दी गई ''रियायत'' के रूप में सौंपा गया था। और यह अधिकार भी राज्य सरकार जब चाहें वापस ले लेती है, जहां उसे वन भूमि हस्तांतरित करनी होती है। इस वापस लेने की प्रक्रिया में किसी नियम या कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता और न ही स्थानीय लोगों को कोई मुआवज़ा ही दिया जाता है। दूसरी ओर, वन अणिकार अधिनियम के अंतर्गत, इन पारंपरिक

अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई है, जिन्हें वन अधिकार बंदोबस्ती रिकार्डों में ''हस्तांतरित न किए जाने वाले अधिकारों'' का दर्ज़ा दिया गया है।

यह चौंका देने वाली बात है कि पर्यावरण मंत्रालय ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के वन भूमि हस्तांतरण करने की हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के अनुरोध को इतनी आसानी से मान लिया है, और उसने इस मामले में जनजातीय मामलों के मंत्रालय से चर्चा करने की कोशिश भी नहीं की – हालांकि वन अणिकार अधिनियम को लागू करने के लिए जनजातीय मामलों का मंत्रालय ही प्रधान मंत्रालय है। हाल की एक रिपोर्ट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम लागू करने में देरी किए जाने पर सवाल भी किया था।

मज़े की बात यह है कि हिमाचल सरकार ने वन अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए 2012 में जाकर घोषणा की। हिम लोक जागृति मंच, किन्नौर के श्री.आर.एस.नेगी सवाल करते हैं, ''यदि हिमाचल प्रदेश सरकार को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से इतनी ही समस्या थी और यदि वह मानती है कि उन्होंने पहले ही सभी वन अधिकारों की ''बंदोबस्ती'' कर दी है, तो उसने पूरे राज्य में इस अधिनियम को लागू करने की घोषणा क्यों की? यह केवल एक लोकवादी कदम था। सरकार का असल उद्देश्य है कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए आसानी से वन भूमि हस्तांतरित की जा सके, फिर चाहें स्थानीय लोगों के अधिकारों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े।''

सतलुज बचाओं जन संघर्ष समिति के श्री.नेक राम शर्मा का कहना है, ''1980 के दशक से 10,000 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि जल विद्युत परियोजनाओं, खनन, विद्युत ट्रांस्मिशन लाइनों और सड़कों के लिए हस्तांतरित की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग को उन सभी लोगों को मुआवज़ा देना चाहिए जिनके अधिकारों का इस हस्तांतरण के कारण हनन हुआ है, विशेषकर यदि उनका कहना है कि उन्होंने इन सभी अधिकारों की बंदोबस्ती कर दी है।''

इस पत्र में मांग की गई है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर 2012 के पत्र द्वारा लिए गए निर्णय को तुरंत वापस लिय जाए क्योंकि यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है। पत्र में लिखा है, ''डी.सी. द्वारा प्रमाण पत्र लेना, कि क्षेत्र में सभी वन अधिकारों की ''बंदोबस्ती'' कर दी गई है, उन स्थानीय परियोजना प्रभावित समुदायों के अधिकारों का हनन करना है, जिनके वन संसाधनों पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार हैं।''

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोग हैं – कौमरेड रतन चंद, साल घाटी बचाओ संघर्ष मोर्चा (चंबा); कुलभूषण उपमन्यु, हिमालय बचाओ समिति; रिग्ज़िन हायेरपा, जिस्पा बांध संघर्ष समिति; और सुदर्शन ठाकुर, शेली परियोजना संघर्ष समिति (लाहुल स्पिति); मंगनी राम, होली बचाओ संघर्ष समिति; और कुलदीप वर्मा, पीपल्स ऐक्शन फौर पीपल इन नीड (सिरमौर)।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

मान्शी आशर (9816345198) या राहुल सक्सेना (9816026246)।